

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)

परिपत्र

क्रमांक: प.11(1)विधि/2/2023

जयपुर, दिनांक: 03/08/2026

विषय:-सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के गुरुवार दिनांक 20 अगस्त, 2026 से प्रारम्भ होने वाले षष्ठम सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

जैसाकि विदित है, सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठम सत्र गुरुवार दिनांक 20 अगस्त, 2026 से प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि ऐसे समस्त विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें तथा पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित संबंधित पत्रावली आवश्यक रूप से दिनांक 14.08.2026 तक विधि (ग्रुप-2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा के षष्ठम सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की कार्यवाही समय पर की जा सके।

विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव विधि (ग्रुप-2) विभाग में भिजवाते समय पत्रावली के साथ निम्नांकित वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जायें:-

1. पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों तथा उसके उद्देश्यों एवं कारणों का कथन की हिन्दी तथा अंग्रेजी की टंकित दो प्रतियां (सॉफ्ट प्रति English- Times New Roman तथा हिन्दी- Mangal फोन्ट सहित)। विधेयक का प्रत्येक पृष्ठ उसकी शुद्धता के प्रतीक स्वरूप सम्बन्धित उप सचिव स्तर से हस्ताक्षरित हों।
2. मंत्रिमण्डल आज्ञा एवं ज्ञापन की प्रति।
3. विधेयक में वित्त संबंधी खण्ड, जिसमें कोई व्यय अन्तर्वलित हो, अन्तर्विष्ट होने की स्थिति में वित्तीय ज्ञापन की हिन्दी तथा अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रति (मय सॉफ्ट प्रति)।
4. विधेयक में विधायिका की शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबन्ध होने की स्थिति में प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन की हिन्दी तथा अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रति।
5. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन, वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की संबंधित प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रति भिजवाया जाना आवश्यक है।
6. विधेयक के पारण के पश्चात्, यदि उस विधेयक में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक हो, उस स्थिति में तत्संबंधी सूचना भी पत्रावली के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त प्रशासनिक विभाग, विधान सभा सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव उपर्युक्त दस्तावेजों सहित पत्रावली दिनांक 14.08.2026 तक आवश्यक रूप से तत्काल विधि (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही किसी विधेयक को सदन के समक्ष पुरःस्थापन से पूर्व गोपनीय रखे जाने की आवश्यकता, यदि कोई हो, के संबंध में भी सूचित करें ताकि विधान सभा सचिवालय को यथासमय अवगत कराया जा सके। कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की स्थिति में तत्संबंधी 'शून्य' सूचना से भी अवगत करावें।


03/08/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई-मेल करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


03/08/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव, विधि